न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2025/336

मिसल नम्बर– 52/2025

प्रभातीलाल आत्मज नारायणलाल आयु 73 वर्ष निवासी मार्फत भीमराज मेहरा मकान नं0 890 गुजराती मोहल्ला केशवपुरा कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.डा0 प्रकाशचंद पुत्र प्रभातीलाल आयु 44 वर्ष निवासी आयुर्वेदिक चिकित्सक सरकारी आयुर्वेद अस्पताल जिला झालावाड राजस्थान

2.डा0 सत्यप्रकाश आत्मज प्रभातीलाल आयु 40 वर्ष निवासी चिकित्सक विनायक अस्पताल कानोता जयपुर एवं कम्युनिटि हेल्थ आफिसर जिला चिकित्सालय टोंक राजस्थान

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 31/12/2025

उपस्थिति:–

1.श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा प्रार्थी लीगल अधिवक्ता

2.प्रतीभा सोनी अप्रार्थीगण अधिवक्ता

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी 73 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक है एवं अधिकतर समय बीमार रहता है प्रार्थी ने अपने जीवनकाल में अपनी खून पसीने की कमाई अप्रार्थीगण की पढाई लिखाई पर खर्च कर दी एवं अप्रार्थीगण वर्तमान में चिकित्सक के पद पर कार्यरत है एवं अच्छा जीवन यापन कर रहे है जबकि प्रार्थी बेसहारा, बेबस व बीमार व्यक्ति है एवं प्रार्थी के आय का कोई साधन नहीं है अप्रार्थीगण के नौकरी होने के कारण प्रार्थी को सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन भी नहीं मिल पा रही है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बेसहारा छोड़ दिया गया है एवं प्रार्थी वर्तमान में दर बदर की ठोकर खाने को मजबूर है एवं मन्दिर आदि में पेट भर लेता है एवं वहीं पर सो जाता है जबकि अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी की किसी प्रकार की सार संभाल नहीं की जा रही है। अप्रार्थीगण प्रर्ण रूप से सक्षम एवं समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के बावजूद अपने पिता प्रार्थी की देखभाल नहीं कर रहे है प्रार्थी को भरण पोषण एवं बिमारी आदि की भी कोई व्यवस्था अप्रार्थीगण द्वारा नहीं की गयी है ऐसे में अप्रार्थीगण को आदेश दिया जाना आवश्यक है कि वह प्रार्थी को अपने साथ रखकर सेवा सुश्रुषा करें एवं बीमारी आदि का ईलाज व भरण पोषण की उचित व्यवस्था करे अथवा प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

लिए भरण पोषण व बीमारी के इलाज हेतु मासिक 20,000/– रूपये की व्यवस्था सुनिश्चित करें। अप्रार्थीगण चिकित्सक के पद पर कार्यरत है तथा अच्छी आय अर्जित कर लेते है किन्तु उस आय में से प्रार्थी के भरण पोषण व बीमारी के लिए एक भी रूपया नहीं देते है जबकि प्रार्थी अत्यधिक वृद्ध व बीमार है जिसके पास आय का साधन नहीं है ऐसे में अप्रार्थीगण को प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा व हारी बीमारी का इलाज का खर्चा मासिक 20,000/– रूपये दिलाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि अप्रार्थीगण को आदेशित किया जावे कि वह अपने पिता प्रार्थी की सेवा सुश्रुषा एवं कोटा में इलाज करवाने के लिए अपने पास रखे व प्रार्थी को मासिक 20,000/– रू भरण पोषण के रूप में अदा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये परन्तु अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अतः जवाब का अवसर बंद किया गया।

जवाब प्रार्थना पत्र का अवसर बंद किये जाने के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीपक्ष की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण से भरण पोषण हेतु प्रतिमाह 20,000/– मासिक दिलाये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया है और ना ही प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन किया गया है। चूंकि अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थी की कथनों का किसी प्रकार से कोई खण्डन नही किया है जिस कारण से प्रार्थी के द्वारा किये गये कथन अखण्डनीय रहे है एवं जिन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण उत्पन्न नही होता है। अतः प्रार्थी द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते है। जिस कारण हम प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है। चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। इसके विपरीत अप्रार्थीगण वर्तमान में चिकित्सक के पद पर कार्यरत है एवं आय के पर्याप्त साधन उपलब्ध है जिस कारण अप्रार्थीगण प्रार्थी को भरण पोषण राशि दिये जाने में सक्षम है। अतः प्रार्थी प्रभातीलाल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र भरण पोषण अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अतः अप्रार्थी को आदेशित किया जाता है कि अपने पिता को 5,000/–5,000/– रूपये प्रत्येक अर्थात 10,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 31/12/2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा